



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 284]

नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 30, 2019/वैशाख 10, 1941

No. 284]

NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 30, 2019/ VAISAKHA 10, 1941

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 अप्रैल, 2019

सा.का.नि. 341(अ).—केंद्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 469 की उप-धारा (1) और उप-धारा (2) के साथ पठित धारा 73 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार, कंपनी (जमा की स्वीकृति) नियम, 2014 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कंपनी (जमा की स्वीकृति) दूसरा संशोधन नियम, 2019 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. कंपनी (जमा की स्वीकृति) नियम, 2014 के नियम 16क के उप-नियम (3) में,-

(क) "राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख" शब्दों के स्थान पर "31 मार्च, 2019" अंक, अक्षर और शब्द रखे जाएंगे;

(ख) "इस अधिसूचना के उक्त प्रकाशन की तारीख से नब्बे दिन" शब्दों के स्थान पर "31 मार्च, 2019 से नब्बे दिन" शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे।

[फा.सं.1/8/2013-सीएल-V खंड VI]

के. वी. आर. मूर्ति, संयुक्त सचिव

टिप्पणी : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खंड-3, उपखंड (i) में सा.का.नि. सं. 256(अ) तारीख 31 मार्च, 2014 द्वारा प्रकाशित किए गए थे तथा उनमें अधिसूचना सा.का.नि. सं. 42(अ), तारीख 22 जनवरी, 2019 द्वारा अंतिम बार संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 30th April, 2019

G.S.R. 341(E).—In exercise of the powers conferred by section 73 read with sub-sections (1) and (2) of section 469 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Companies (Acceptance of Deposits) Rules, 2014, namely:-

1. (1) These rules may be called the Companies (Acceptance of Deposits) Second Amendment Rules, 2019.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Companies (Acceptance of Deposits) Rules, 2014, in rule 16A, in sub-rule (3), -
 - (a) for the words “the date of publication of this notification in the Official Gazette”, the figures, letters and word “31st March, 2019” shall be substituted;
 - (b) for the words “ninety days from the date of said publication of this notification”, the words, figures and letters “ninety days from 31st March, 2019” shall be substituted.

[F. No. 1/8/2013-CL-V. Vol. VI]

K. V. R. MURTY, Jt. Secy.

Note. - The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 256(E), dated the 31st March, 2014 and were last amended *vide* notification number G.S.R. 42(E), dated the 22nd January, 2019.